समाचार

प्रधानमंत्री आवास योजना

महापौर ने 33 हितग्राहियों को प्रदान किया आवासगृह स्वीकृति व भवन अनुज्ञा पत्र

(प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत निगम क्षेत्र में ''मोर जमीन–मोर मकान '' बी.एल.सी. घटक अंतर्गत वर्तमान में 722 हितग्राहियों को स्वीकृत हुए आवासगृह)

कोरबा 08 जुलाई 2025 – महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने आज निगम कार्यालय साकेत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 '' मोर जमीन–मोरी मकान '' बी.एल.सी. घटक के 33 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र एवं भवन निर्माण अनुमति पत्र प्रदान किया, इस मौके पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय भी उपस्थित थे। महापौर श्रीमती राजपूत एवं आयुक्त श्री पाण्डेय ने हितग्राहियों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा समयसीमा में मकानों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर निर्माण कार्य पूर्ण करने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत '' मोर जमीन–मोर मकान '' बी.एल.सी. घटक अंतर्गत नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में 722 नए हितग्राहियों को आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभा कक्ष में महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में 33 हितग्राहियों को आवासगृहों के स्वीकृति पत्र व भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र प्रदान किया। इस मौके पर महापौर श्रीमती राजपूत ने हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के यशस्वी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दिल से साधुवाद है कि उन्होने समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ–साथ विशेष रूप से गरीब, निर्धन व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के परिणाम स्वरूप देश के करोड़ों लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं तथा करोड़ों लोगों को आगे भी पक्के व सर्वसुविधायुक्त मकान मिलेंगे, जिससे देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा, जिसके पास अपना खुद का पक्का मकान न हों। महापौर श्रीमती राजपूत ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सत्ता की बागडोर संभालते ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी थी, उन्हें साधुवाद है कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के अंतर्गत 32850 रूपये की अतिरिक्त राशि ऐसे हितग्राहियों को दी जा रही है, जिनके द्वारा 18 माह के अंदर भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होने हितग्राहियों से कहा कि आपके वार्ड पार्षद व निगम के अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप समय–समय पर अपनी समस्याएं उन्हें अवश्य बताएं।

निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर, पूर्ण करें – इस मौके पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने उपस्थित हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग मकान का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करें तथा समयसीमा में मकान का निर्माण करा लें ताकि मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के अंतर्गत 32850 रूपये की मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी आपको प्राप्त हो सके। आयुक्त श्री पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समग्र जानकारी भी हितग्राहियों को दी तथा उनसे कहा कि निगम प्रशासन की ओर से सभी हितग्राहियों को पूरा सहयोग मिलेगा, आपको समय पर किश्त राशि का भुगतान प्राप्त हो, यह सुनिश्चित कराया जाएगा।

इस अवसर पर निगम के अधीक्षण अभियंता व नोडल अधिकारी सुरेश बरूआ, पार्षद रवि सिंह चंदेल, सहायक नोडल अधिकारी विवेक रिछारिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के सी.एल.टी.सी. धवल शर्मा, हर्ष छत्रवाणी, अंकुश पाटकर, अमन शर्मा आदि के साथ हितग्राहीगण व अन्य लोग उपस्थित थे।